

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रथम, अम्बेडकरनगर  
UPAN010043862026



**Bail Application/572/2026**

प्रदीप                      बनाम                      सरकार

**15.06.2026**

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर बल नहीं दिया गया और इसी आशय की टिप्पणी जमानत प्रार्थनापत्र पर अंकित किया गया। चूंकि अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर बल नहीं दिया गया। ऐसी स्थिति में बलाभाव में अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

**आदेश**

उपरोक्तानुसार अभियुक्त प्रदीप द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 438 जा0फौ0 बलाभाव में निरस्त किया जाता है।

(राम विलास सिंह)  
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रथम  
अम्बेडकरनगर।  
जे.ओ.कोड—यू.पी.6067